न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान जिला दौसा।

पीठासीन अधिकारी: बृजेन्द्र मीना
नम्बर मुकदमा 50/2021
रामभजन बनाम राजस्थान सरकार
वाद पत्र अं0 धारा 136 रा0 ले0 रे0 ए0
उपस्थित:प्रार्थीअधिवक्ता–राजकुमार तिवाडी एडवोकेट
निर्णय दिनांक 08–10–2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मृतक धन्ना का मतदाता पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र, धन्ना की पत्नि पांचीदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र, गोदनामा दिनांक 17–05–1999 वर्तमान जमाबन्दी किता 2 आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये।

उक्त पत्रावली प्रशासन गांव के संग शिविर में प्रस्तुत हुई। पत्रावली में अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान से उक्त प्रकरण के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट तैयार करवाई गई। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा पटवारी हल्का गिरदावर द्वारा ग्राम आलूदा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2604, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647 कुल किता 10 कुल रकबा 3.03 है0 के संबंध में विस्तृत मौका जांच

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नांगल राजावतान (दौसा)

रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपरोक्त सभी दस्तावेजो एवं जमाबन्दी तथा प्रार्थी रामभजन के पहचान के दस्तावेजो व मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वाद पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि स्थित वाके **ग्राम आलूदा** तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 2604 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 2639 रकबा 0.91 है0, खसरा नम्बर 2640 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 2641 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 2642 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 2643 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 2644 रकबा 0.49 है0, खसरा नम्बर 2645 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 2646 रकबा 0.50 है0, खसरा नम्बर 2647 रकबा 0.29 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 3.03 है0 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं अन्य सरकारी राजस्व दस्तावेजात में अंकित नाम धन्ना पुत्र नाथू को दुरूस्त कर धन्ना पुत्र नहनू दर्ज किया जावे तथा प्रार्थी के हक में उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण जरिये गोदनामा तस्दीक किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय की तहरीर तहसीलदार नांगल राजावतान को जारी हो।

उप खण्ड अधिकारी
नांगल राजावतान जिला दौसा।